

प्ररूप 21 ग
(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन परिणाम की घोषणा

राजस्थान (राज्य) के 15-पाली संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से लोक सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूं कि -


श्री पी. पी. चौधरी

1004 आगलेचों का बास नं. 2 भावी, सीरवी बास, भावी, तहसील-बिलाड़ा जिला-जोधपुर (राजस्थान)
जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा खड़े किए गए हैं।

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान को भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं।

स्थान : पाली
तारीख : 04-06-2024




(लक्ष्मी नारायण मंत्री)
रिटर्निंग अधिकारी
15-पाली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र
(जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, पाली)
रिटर्निंग अधिकारी
15-पाली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र
(जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, पाली)

Form 21C
(See rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

Declaration of the result of Election under section 66 of the Representation of the People Act, 1951

Election to the House of the People from the **15-Pali** Parliamentary Constituency in the Rajasthan (State).

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that—

Shri P. P. CHAUDHARY

1004 AAGLECHO KA BAS NO. 02 BHAVI, SIRVI BAS BHAVI, TEHSIL-BILARA DISTRICT-JODHPUR (RAJASTHAN)

sponsored by **Bharatiya Janata Party** has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place: **Pali**
Date: **04-06-2024**



(Laxmi Narayan Mantri)
Returning Officer
15-Pali Parliamentary Constituency
(District Collector and District Magistrate,
Pali)

Returning Officer
15-Pali Parliamentary Constituency
(District Collector & District Magistrate, Pali)